उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या – 16/2016

राजेश कुमार **बनाम्** नेवालाल महतो एवं राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
18-07-2018	आदेश

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला के उपरान्त विपक्षी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। फलतः एक पक्षीय सुनवाई करते हुए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं समर्पित कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि वास्तविक रैयत से विधिवत् प्रक्रिया के तहत आपसी बटवारा और विपक्षी के सहमति से हासिल कर दखलकार हुए एवं दखल कब्जा में रहते हुए नामांतरण हेतु अंचल कार्यायल, रामगढ़ में आवेदन दायर किया गया, तत् पश्चात् विधिवत जांचो उपरांत अचंल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन्होने अनुरोध किया है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिविजन आवेदन स्वीकृत किया जाय।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने एवं समर्पित कागजातों तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 31/2014–15 नेवालाल महतो बनाम राजेश कुमार एवं राज्य में दिनांक 29.02.2016 में पारित आदेश से सहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0–31/2014–15 नेवालाल महतो बनाम राजेश कुमार एवं राज्य में दिनांक 29.02.2016 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए, अपीलार्थी द्वारा दायर रिविजन आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

18/7/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

18/7/18

उपायुक्त,
रामगढ़।